रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271427
CG-DL-E-30032026-271427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1592]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948
No. 1592]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1657(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार '**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**', **(पैन: AABAI0415K), भिलाई** को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ '**विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था'** की श्रेणी के अंतर्गत **'वैज्ञानिक अनुसंधान**' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना मूल्यांकन वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी ।

(i) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**, **भिलाई** को आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 5ङ में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(ii) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**, **भिलाई** अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र संख्या 10खघ में निर्धारित विवरण तैयार करेगा और उक्त निर्धारित आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त प्रपत्र में, ऐसे तरीके से सत्यापित, ऐसे विवरणों को प्रस्तुत करते हुए, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले, जिसमें दान प्राप्त हुआ है, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित अनुसार प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा।

बशर्ते कि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के तहत दिए गए विवरण में किसी भी गलती को सुधारने या उसमें जानकारी जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को एक सुधार विवरण भी प्रस्तुत कर सकती है।

(iii) **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**, **भिलाई** दानकर्ता को प्रपत्र संख्या 10खग में एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जिसमें दान की राशि का विवरण, विवरण और राशि प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के भीतर दिया जाएगा, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित है।

[अधिसूचना सं. 40/2026/फा. सं. 203/07/2025/ITA-II]

इंदु बाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

S.O. 1657(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (the Act) read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962 (the Rules), the Central Government hereby approves **'Indian Institute of Technology' (IIT), Bhilai (PAN:AABAI0415K),** for '**Scientific Research**' under the category of **'University, college or other institution'** for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall be applicable for Assessment years 2026-27 to 2030-31 subject to the following conditions:

(i) **Indian Institute of Technology (IIT), Bhilai** shall comply with the conditions specified in Rule 5E of the Income-tax Rules, 1962.

(ii) **Indian Institute of Technology (IIT), Bhilai** shall prepare statement under sub-section (1A) of section 35 of the Act for each financial year as prescribed in Form No.10BD and deliver or cause to be delivered to the said prescribed income-tax authority or the person authorised by such authority such statement in such form, verified in such manner, setting forth such particulars on or before the 31st May, immediately following the financial year in which the donation is received, as prescribed in Rule 18AB of the Income-tax Rules,1962.

Provided that such university, college or other institution may also deliver to the prescribed authority a correction statement for rectification of any mistake or to add, delete or update the information furnished in the statement delivered under sub-section (1A) of section 35 of the Act;

(iii) **Indian Institute of Technology (IIT), Bhilai** shall furnish to the donor, a certificate in Form No.10BE specifying the amount of donation in such manner, containing such particulars and within such time from the date of receipt of sum, as prescribed in Rule 18AB of the Income-tax Rules,1962.

[Notification No. 40 /2026 / F. No. 203/07/2025/ITA-II]

INDU BALA**,** Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271428
CG-DL-E-30032026-271428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1593]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948
No. 1593]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1658(अ).— आयकर नियमावाली, 1962 के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार '**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**', **(पैन: AAATI1446A), बॉम्बे** को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5ङ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ '**विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था'** की श्रेणी के अंतर्गत '**वैज्ञानिक अनुसंधान**' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना मूल्यांकन वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी ।

(i) '**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**', **बॉम्बे** को आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 5ङ में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(ii) '**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**', **बॉम्बे** अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र संख्या 10खघ में निर्धारित विवरण तैयार करेगा और उक्त निर्धारित आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त प्रपत्र में, ऐसे तरीके से सत्यापित, ऐसे विवरणों को प्रस्तुत करते हुए, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले, जिसमें दान प्राप्त हुआ है, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित अनुसार प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा।

बशर्ते कि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के तहत दिए गए विवरण में किसी भी गलती को सुधारने या उसमें जानकारी जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को एक सुधार विवरण भी प्रस्तुत कर सकती है।

(iii) '**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान**', **बॉम्बे** दानकर्ता को प्रपत्र संख्या 10खग में एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जिसमें दान की राशि का विवरण, विवरण और राशि प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के भीतर दिया जाएगा, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित है।

[अधिसूचना सं. 42/2026/फा. सं. 203/09/2025/ITA-II]

इंदु बाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

S.O. 1658(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (the Act) read with Rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962 (the Rules), the Central Government hereby approves **'Indian Institute of Technology' (IIT) Bombay, (PAN: AAATI1446A),** for '**Scientific Research**' under the category of **'University, college or other institution'** for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5E of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall be applicable for Assessment years 2026-27 to 2030-31 subject to the following conditions:

(i) **'Indian Institute of Technology' (IIT), Bombay** shall comply with the conditions specified in Rule 5E of the Income-tax Rules, 1962.

(ii) **'Indian Institute of Technology' (IIT), Bombay** shall prepare statement under sub-section (1A) of section 35 of the Act for each financial year as prescribed in Form No.10BD and deliver or cause to be delivered to the said prescribed income-tax authority or the person authorised by such authority such statement in such form, verified in such manner, setting forth such particulars on or before the 31st May, immediately following the financial year in which the donation is received, as prescribed in Rule 18AB of the Income-tax Rules,1962.

Provided that such university, college or other institution may also deliver to the prescribed authority a correction statement for rectification of any mistake or to add, delete or update the information furnished in the statement delivered under sub-section (1A) of section 35 of the Act;

(iii) **'Indian Institute of Technology' (IIT), Bombay** shall furnish to the donor, a certificate in Form No.10BE specifying the amount of donation in such manner, containing such particulars and within such time from the date of receipt of sum, as prescribed in Rule 18AB of the Income-tax Rules,1962.

[Notification No. 42 /2026 /F. No 203/09/2025/ITA-II]

INDU BALA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271429
CG-DL-E-30032026-271429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1594]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948
No. 1594]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

का.आ. 1659(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार '**भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान**', **(पैन:AAAAT7089F), थाणे, महाराष्ट्र** को आयकर नियमावली, 1962 के नियम 5ग और 5घ के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ '**अनुसंधान संघ**' की श्रेणी के अंतर्गत **'वैज्ञानिक अनुसंधान**' हेतु अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना मूल्यांकन वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन लागू होगी ।

(i) '**भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान**', **थाणे, महाराष्ट्र** को आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 5घ में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(ii) '**भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान**', **थाणे, महाराष्ट्र** अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रपत्र संख्या 10खघ में निर्धारित विवरण तैयार करेगा और उक्त निर्धारित आयकर प्राधिकारी या

ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त प्रपत्र में, ऐसे तरीके से सत्यापित, ऐसे विवरणों को प्रस्तुत करते हुए, उस वित्तीय वर्ष के तुरंत बाद आने वाली 31 मई को या उससे पहले, जिसमें दान प्राप्त हुआ है, आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित अनुसार प्रस्तुत करेगा या प्रस्तुत करवाएगा।

बशर्ते कि ऐसा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1क) के तहत दिए गए विवरण में किसी भी गलती को सुधारने या उसमें जानकारी जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को एक सुधार विवरण भी प्रस्तुत कर सकती है।

(iii) '**भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान**', **थाणे, महाराष्ट्र** दानकर्ता को प्रपत्र संख्या 10खग में एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जिसमें दान की राशि का विवरण, विवरण और राशि प्राप्त होने की तिथि से निर्धारित समय के भीतर दिया जाएगा, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1962 के नियम 18कख में निर्धारित है।

[अधिसूचना सं. 43/2026/फा. सं. 203/11/2025/ITA-II]

इंदु बाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

S.O. 1659(E).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (the Act) read with Rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962 (the Rules), the Central Government hereby approves **'Indian Rubber Materials Research Institute' (PAN:AAAAT7089F), Thane, Maharashtra** for '**Scientific Research**' under the category of **'Research Association'** for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with rules 5C and 5D of the Income-tax Rules, 1962.

2. This Notification shall be applicable for Assessment years 2026-27 to 2030-31 subject to the following conditions:

(i) '**Indian Rubber Materials Research Institute', Thane, Maharashtra** shall comply with the conditions specified in Rule 5D of the Income-tax Rules, 1962.

(ii) '**Indian Rubber Materials Research Institute', Thane, Maharashtra** shall prepare statement under sub-section (1A) of section 35 of the Act for each financial year as prescribed in Form No.10BD and deliver or cause to be delivered to the said prescribed income-tax authority or the person authorised by such authority such statement in such form, verified in such manner, setting forth such particulars on or before the 31st May, immediately following the financial year in which the donation is received, as prescribed in Rule 18AB of the Income-tax Rules,1962.

Provided that such university, college or other institution may also deliver to the prescribed authority a correction statement for rectification of any mistake or to add, delete or update the information furnished in the statement delivered under sub-section (1A) of section 35 of the Act;

(iii **)** **'Indian Rubber Materials Research Institute', Thane, Maharashtra** shall furnish to the donor, a certificate in Form No.10BE specifying the amount of donation in such manner, containing such particulars and within such time from the date of receipt of sum, as prescribed in Rule 18AB of the Income-tax Rules, 1962.

[Notification No. 43/2026 /F. No. 203/11/2025/ITA-II]
INDU BALA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA